उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-128/2019/1864/92-2-2019-54आरई/2006
लखनऊ :: दिनांक:: 17 अक्टूबर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद फतेहपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जांच में परिलक्षित शासकीय क्षति/गबन के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री दीनानाथ सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फतेहपुर को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-352/62-3-07-54आरई/06 दिनांक 22-01-2007 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-इलाहाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-इलाहाबाद द्वारा पर्याप्त प्रयास किये जाने के उपरान्त भी अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में पत्र दिनांक 29-10-2007 द्वारा एकपक्षीय जांच आख्या शासन में प्रेषित की गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित सभी 03 आरोप प्रमाणित पाये जाने पर शासन के पत्र दि0 28-11-2007 व 31-12-2007 द्वारा उनका लिखित अभ्यावेदन मांगा गया, परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनका बचाव उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित सभी 03 आरोप प्रमाणित पाये जाने पर विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र सं0-5225/62-3-2007-54आरई/2006 दिनांक 15-01-2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से सहमति मांगी गयी, जो उनके पत्र सं0-302/15/एडीसी/एस-12/2007-08 दिनांक 26-03-2008 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। लोक सेवा आयोग की उक्त सहमति के परिप्रेक्ष्य में श्री दीनानाथ सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फतेहपुर को निलम्बन से बहाल करते हुये उनके विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-01-2007 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1530/62-3-2008-54आरई/2006 दिनांक 14-05-2008 द्वारा निम्नवत दण्ड देते हुये समाप्त कर दिया गया :-

(क) श्री दीनानाथ सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता, प्रखण्ड-फतेहपुर (सम्प्रति निलम्बित) द्वारा की गयी शासकीय क्षति/गबन रू0 1,31,596.00 की वसूली श्री सिंह के वेतन से कर ली जाय।

(ख) श्री दीनानाथ सिंह, सहायक अभियंता की 02 वेतन वृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोक दी जाय।

(ग) श्री दीनानाथ सिंह, सहायक अभियंता द्वारा प्रकरण में किये गये उक्त कृत्यों हेतु उन्हें निम्नवत परिनिन्दित किया जाता है :-

"श्री दीनानाथ सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता द्वारा जी0टी0 रोड से रमवां सम्पर्क मार्ग के निर्माण में गंगा मोरम प्रयुक्त न करने, सी0सी0 रोड में ईटो के अदधे प्रयोग करने, सडक की क्रस्ट की मोटाई मानक के अनुरूप न होने तथा 2.00 लाख से ऊपर के कार्यो का वृहद प्रचार-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से न करने के कारण उनके द्वारा शासकीय क्षति कारित की गयी है, इस हेतु श्री सिंह की भर्त्सना करते हुये परिनिन्दित किया जाता है।"

उक्त परिनिन्दा प्रविष्टि उनकी वर्ष 2007-08 में उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में रखी जायेगी।

2- अपचारी अधिकारी, श्री दीनानाथ सिंह के निलम्बन अवधि दिनांक 21-01-2007 से 13-05-2008 तक के अवशेष वेतन भत्तो के भुगतान एवं उक्त अवधि को सेवा अवधि माने जाने अथवा न माने जाने के संबंध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 (4) के नियम-54ख के अंतर्गत शासन के पत्र सं0-1597/92-2-19-54आरई/2006 दि0 19-07-2019 द्वारा इस आशय का नोटिस निर्गत किया गया कि श्री दीनानाथ सिंह उनके निलम्बन अवधि के सम्बद्धता स्थल पर योगदान दिये जाने व किसी अन्य सेवायोजन व्यापार वृत्ति व्यवसाय में संलिप्त न रहने का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें, जो उनके पत्र दिनांक 19-08-2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त परिलक्षित हुआ कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में श्री दीनानाथ सिंह के विरूद्ध निर्गत दण्डादेश दिनांक 14-05-2008 द्वारा उनकी 02 वेतनवृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-3 में परिभाषित दण्ड के अनुसार दीर्घ दण्ड में आता है जो उनके निलम्बन के औचित्य को प्रमाणित करता है। ऐसी स्थिति में श्री दीनानाथ सिंह तत्का0 सहायक अभियंता (से0नि0) के निलम्बन अवधि दिनांक 22-01-2007 से 13-05-2008 तक को सेवा में व्यतीत अवधि मानने का औचित्य प्रतीत नही होता है। अतएव उनके निलम्बन काल का वेतन जीवन निर्वाह भत्ते तक सीमित रखे जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-128/2019/1864(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री दीनानाथ सिंह, तत्का0 सहा0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-फतेहपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in